रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22022020-216310
CG-DL-E-22022020-216310

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 745] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 21, 2020/फाल्गुन 2, 1941
No. 745] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 21, 2020/PHALGUNA 2, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2020

का.आ. 814(अ).—अधिसूचना संख्या का.आ. 2606(अ.), द्वारा दिनांक 19 जुलाई, 2019 को (इसके बाद इस अधिसूचना में उक्त अधिसूचना के रूप में संदर्भित), भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के आसपास के पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन को अधिसूचित किया और उक्त पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन में कुछ प्रतिबंध लगाए गए;

और, जबकि माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने दिनांक 16 अक्तूबर, 2019 के अपने आदेश में मूल आवेदन संख्या 235/2017 में एम.ए.105/2019 में विपास पंडित बनाम भारत संघ के मामले में, उपरोक्त अधिसूचना को संशोधित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्देश दिया था;

और, प्रारूप अधिसूचना, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की उपरोक्त अधिसूचना, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में संशोधन करने के लिए, प्रारूप अधिसूचना संख्या का.आ. 4150(अ), तारीख 19 नम्वबर, 2019 के द्वारा प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गईं थीं, साठ दिन की अवधि के भीतर, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, प्रारूप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (2) और

उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचित किया गया, उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में पैराग्राफ 4. में, क्रम सं. 5 के लिए और उसमें संबंधित प्रविष्टियों के लिए शीर्षक "क. प्रतिषिद्ध कार्यकलापों" के तहत, तालिका में, 'पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन के भीतर प्रतिषिद्ध अथवा विनियमित किए जाने वाले कार्यकलापों की सूची', निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगी, अर्थात्:—

क्र. सं.	क्रियाकलाप	विवरण
(1)	(2)	(3)
"5	कीटनाशक/कीटनाशी/शाकनाशी के उपयोग सहित किसी भी खतरनाक पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।"

टिप्पणी : प्रमुख अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, पैरा II, धारा 3, उप-धारा (ii) के का.आ. 2606 (अ), दिनांक 19 जुलाई, 2019 में प्रकाशित की गई थी।

[फा. सं. 11/22/2017-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st February, 2020

S.O. 814(E).—WHEREAS, by the notification number S.O. 2606 (E), dated the 19th July, 2019 (hereafter in this notification referred to as the said notification), the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change had notified an Eco-Sensitive Zone surrounding the Keoladeo National Park in Rajasthan and imposed few restrictions in the said Eco-Sensitive Zone;

AND WHEREAS, the Hon'ble National Green Tribunal *vide* its order dated 16th October, 2019 in M. A. 105/2019 in Original Application No. 235/2017, in the matter of Vipas Pandit Vs. Union of India, directed the Ministry of Environment, Forest and Climate Change to amend the above said notification;

AND WHEREAS, a draft notification to amend the above said notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change was published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification number S.O. 4150(E) dated the 19th November, 2019, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clause (xiv) of sub – section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the following amendments in the said notification, namely: -

In the said notification in paragraph 4. 'List of activities prohibited or to be regulated within Eco-Sensitive Zone', in the TABLE, under the heading "A. Prohibited Activities", for serial No 5, and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

S. No.	**Activity**	**Description**
(1)	**(2)**	**(3)**
"5	Use or production or processing of any hazardous substances including the use of pesticides/ insecticides /herbicides.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.".

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, para II, Section 3, Sub-section (ii) vide number S.O. 2606(E) dated the 19th July, 2019.

[F. No. 11/22/2017-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.02.22 09:43:39 +05'30'